न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए./12467/2004/जयपुर

1.रामला (नाम हजफ)
2 मूलचन्द
3 सरवण
4 बलराम
5 विजयसिंह
6 अर्जुनलाल

पुत्रगण रामला समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1नानगा पुत्र मंगला(नाम हजफ)
2 पांच्या पुत्र मंगला
3 नारायणी पत्नि काना
4 मंगला पुत्र चंदा (नाम हजफ)
5 श्रीनारायण पुत्र धन्ना

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः
श्री सुबोध जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री श्याम बाबू पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 19.2.2020

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–4–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 से 5 व अपीलाण्ट के पिता रामला के विरूद्व एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उप जिलाधीश, आमेर जिला जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1, 2 तथा 9,10,11 ग्राम नटाटा में स्थित काश्त की भूमि के सहखातेदार है इन सब की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 120 रकबा 4 बिस्वा, गैर मुमकिन चाह एवं खसरा नंबर 121 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा बारानी अव्वल है राजस्व अभिलेख में वादीगण का हिस्सा इन दोनों खसरान के सहखातेदार प्रतिवादी नंबर 9,10,11 व 1, 2 के साथ हिस्सा 1/3 में हिस्सा 1/5 है । उक्त भूमि में से प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा अपने अविभाजित हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 को अपंजीकृत किव्रय पत्र के जरिए विक्रय कर दी । इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरन वादीगण के कदीमी कब्जे व आबादी के भूखण्ड में रास्ते के उपयोग के लिए खाली पडी भूमि जिसकी चोडाई 13.9 फीट है पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने पर तुले हुए है । वादी व प्रतिवादी एक ही खानदान के है जबकि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 अजनबी है । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 गैर कानूनी रूप से वादीगण के स्वामित्व के व कब्जे की भूमि के हिस्से 13.9 फीट चौडे रास्ते पर कब्जा करना चाहते है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के मकानात अ.ब.स.द.व उसके पीछे स्थित बाडे में किसी प्रकार का कब्जा न करे व बाधा न डोले । अतः वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । इसके साथ धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किया गया । दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 रामला व अन्य द्वारा एक प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद हेतुक काज आफ एक्शन उत्पन्न होने वाली बात वाद में नहीं होने पर वाद निरस्त किया जावे । जिसका जबाव वादी द्वारा प्रस्तुत किया । उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27-11-92 द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर दावा खारिज कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने

प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होने अपने निर्णय दिनांक 20–5–94 द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–11–92 निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया इसके पश्चात रेस्पोडेण्ट वादी नानगा द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर मद नंबर 4 के अनुसार संशोधन किए जाने का निवेदन किया । उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाव भी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18–1–96 द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर लिया गया । उक्त आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में एक निगरानी संख्या 28/96 प्रस्तुत की गई जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 2–4–97 द्वारा खारिज कर दी । विचारण न्यायालय ने इसके पश्चात दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 26–6–2000 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्व अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–4–2004 द्वारा अपील स्वीकार कर पुनः तनकीवार वाद का फैसला करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड कर दिया । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30–4–2004 के विरूद्व यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य साबित था कि प्रश्नाधीन भूमि कृषि उपयोग में नहीं आ रही है और आबादी होकर सडकों का निर्माण हो चुका है । दुकाने बन चुकी हैं मकानात बन चुके हैं तो प्रश्नगत भूमि को कृषि भूमि कैसे माना जा सकता है फिर भी विचारण न्यायालय के समक्ष आयी रिपोर्ट को नजरअंदाज कर विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है । । वादीगण का कब्जा दावा दायरी के दिन नहीं था क्योंकि वादीगण ने स्वयं 1995 में इस्तकरारहक की दुआ की थी जिससे स्पष्ट है कि वाद वादीगण बिना कब्जे व हक के पेश किया गया है रेस्पोडेण्ट का वाद चलने योग्य नहीं था फिर भी अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालय ने प्रकरण को रिमाण्ड करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूप्योग किया है जो निरस्त योग्य है । अतः अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्ण निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय बहाल रखा जावे ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । वाद में जबावदावा प्रस्तुत होने के बाद तनकी कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया है । सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-1-99 द्वारा प्रकरण को राजस्व न्यायालय में निस्तारण किए जाने का उल्लेख किया गया था इसलिए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु विचारण न्यायालय को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील खारिज की जावें। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2019(2) पेज 1045, आर.आर.टी. 2018(2) पेज 946 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये ।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उपखंड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26-6-2000 में अंकित किया है कि विवादित भूमि मौके पर काश्त की भूमि नहीं है व इस भूमि पर दुकानें व मकानात बन चुके है। केवल मात्र राजस्व रिकोर्ड में काश्त की भूमि दर्ज होने के कारण यह विवाद राजस्व न्यायालय का नहीं हो सकता। पक्षकारान ने राजस्व भूमि निषेध उपयोग करते हुये भूमि की किस्म बिना किसी सक्षम आदेश के परिवर्तित कर दी है। तहसीलदार, जमवारामगढ को चाहिये कि इस भूमि को धारा 90 ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम व 62 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सिवायचक घोषित करे व पक्षकारान को भूमि का नियमानुसार उपयोग परिवर्तन करने हु कार्यवाहीं करें। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

8- विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 30-4-2004 द्वारा विवाद्यक कायम कर विधिसम्मत तरीके से निर्णित करने हेतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है।

9. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान में भूमि जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में वादी/प्रतिवादी के नाम दर्ज होकर संयुक्त कब्जेकाश्त की आराजी है। इसके सबंध में वादी द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी में प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 9–6–92 को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया। इसका निर्णय उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 26–6–2000 को यह करते हुये किया गया कि विवादित भूमि मौके पर काश्त की भूमि नहीं है। जबकि राजस्व रिकोर्ड में भूमि दर्ज होकर संयुक्त कब्जेकाश्त की है। सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 29–1–99 को अपने निर्णय में स्पष्ट रूपसे अंकित किया गया है कि राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का वाद होने से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत वाद को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये लोटाये जाने का आदेश दिया जाता है जिसमें यह वाद संस्थित किया जाना चाहिये था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि राजस्व भूमि होने से दावा एवं जवाबदावा के बाद तनकीयात कायम की जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण को उचित रूप से प्रतिप्रेषित किया गया है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यों पर लागू होते है।

10– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–4–2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष